

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-229/907/08

उनवान

श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व0 बाबूलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं,  
जिला जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र स्व0 नाथूलाल
2. बसन्त पुत्र नाथूलाल
3. अनोखी देवी पत्नि स्व0 बलराम
4. अमित पुत्र स्व0 बलराम
5. सुमित पुत्र स्व0 बलराम
6. किस्तूरी देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
7. कविता देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
8. मिन्दू देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
9. कमला देवी पत्नि स्व0 नाथूलाल (मृतक दौराने दावा)
10. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए वाद को निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री करने की मांग की। विवादित भूमि खाता सं0 70 के खसरा नं0 180 ता 184, खसरा नं0 206 ता 216, खसरा नं0 219, 234 कुल किता 18 का कुल रकबा 4.84 है0 भूमि, व खसरा नं0 220 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.20 है0 भूमि व

सहायक कलेक्टर  
चौमूं (जयपुर)

खसरा नं० 222, 229, 230, 233, 240, 240/1677, 222, 240/1678 कुल किता 7 का कुल रकबा 0.39 है० भूमि वाके ग्राम बरवाड़ा हाल ग्राम फतेहगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 का निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल, जाति अहीर सा० देह राहिन दी जयपुर सेन्द्रल कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा चौमूं मूर्तहीन (ख०न० 216/2, 219/1) राहिन ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया के हिस्से में ख०न० 216/2 रकबा 0.45 है०, खसरा नं० 220/2 रकबा 0.20 है०, ख०न० 219/1 रकबा 0.21 है, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. मुरलीधर बसन्त पिता नाथूलाल हिस्सा 1/3 किस्तूरी देवी, कविता देवी, मिन्दू देवी पिता नाथूलाल हिस्सा 1/2, अनोखी देवी पत्नि बलराम, अमित, सुमित पिता बलराम हिस्सा 1/6, जाति अहीर राहिन ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया मुर्तहीन (ख०न० 220/1) राहिन ज०स०को० बैंक चौमूं के हिस्से में ख०न० 180 रकबा 0.15 है०, ख०न० 181 रकबा 0.10 है०, ख०न० 182 रकबा 0.12 है०, ख०न० 183 रकबा 0.08 है०, ख०न० 184 रकबा 0.12 है०, ख०न० 206 रकबा 0.20 है०, ख०न० 207 रकबा 0.17 है०, ख०न० 208 रकबा 0.19 है०, ख०न० 209 रकबा 0.22 है०, ख०न० 210 रकबा 0.20 है०, ख०न० 211 रकबा 0.29 है०, ख०न० 212 रकबा 0.18 है०, ख०न० 213 रकबा 0.21 है०, ख०न० 214 रकबा 0.19 है०, ख०न० 215 रकबा 0.41 है०, ख०न० 216/1 रकबा 0.75 है०, ख०न० 219/2 रकबा 0.43 है०, ख०न० 220/1 रकबा 1.00 है०, ख०न० 234 रकबा 0.17 है०, कुल किता 19 का कुल रकबा 5.18 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. शंकरलाल, भगवानसहाय पिता सुणीलाल 1/3, शंकरलाल, भगवानसहाय पिता मु० सुणीलाल 1/6, सन्तोष देवी पुत्री सुणीलाल हिस्सा 1/6, मुरलीधर, बसन्त पिता नाथूलाल, किस्तूरी देवी, कविता देवी, मिन्दू देवी पुत्रियां नाथूलाल हिस्सा 5/14, प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/14, अनोखी देवी पत्नि बलराम, अमित, सुमित पिता बलराम हिस्सा 1/14, जाति अहीर सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०न० 222 रकबा 0.25 है०, ख०न० 229 रकबा 0.02 है०, ख०न० 230 रकबा 0.01 है०, ख०न० 233 रकबा 0.03 है०, ख०न० 240/1678 रकबा 0.04 है०, ख०न० 240/1677 रकबा 0.02


सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0-229/907/08  
उनवान-प्रेम देवी बनाम मुरलीधर वगै0  
निर्णय दिनांक-28.02.2019

है0, ख0नं0 240 रकबा 0.02 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.39  
हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफतर  
हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मैजिस्ट्रेट  
चौमूँ

## डिक्री मुकदमा इबतदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट, चौमूं जयपुर

पीतासीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (R.A.S.)

मुकदमा नं0-229/907/08

उनवान

श्रीमती प्रेम देवी पतिन स्व0 बाबूलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं

जिला जयपुर।

-वादीया

बनान

1. मुरलीधर पुत्र स्व0 नाथूलाल
2. वसन्त पुत्र नाथूलाल
3. अनोखी देवी पतिन स्व0 बलराम
4. अमित पुत्र स्व0 बलराम
5. सुमित पुत्र स्व0 बलराम
6. किस्सूरी देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
7. कविता देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
8. निन्दू देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल (मृतक दोराने वावा)
9. कमला देवी पतिन स्व0 नाथूलाल (मृतक दोराने वावा)
10. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जारिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि0 शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा


ये मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कई कबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजागिन मुददर्ह कबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस-1 मिनजागिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

- निवादिता भूमि खाता सं0 70 के खसरा नं0 180 ता 184, खसरा नं0 206 ता 216, खसरा नं0 219, 234 कुल किला 18 का कुल रकबा 4.84 है0 भूमि, व खसरा नं0 220 कुल किला 1 का कुल रकबा 1.20 है0 भूमि व खसरा नं0 222, 229, 230, 233.

सहायक कलेक्टर  
चौमूं (जयपुर)

240, 240/1677, 222, 240/1678 कुल किता 7 का कुल रकबा 0.39 है० भूमि वाके  
ग्राम बरवाडा हाल ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रजात  
रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 का निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल, जाति अहीर सा० देह राहिन दी जयपुर सेन्द्रल  
कॉपरेटिव बैंक लि० शाखा चौमूं मूर्तहीन (ख०न० 216/2, 219/1) राहिन  
ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया के हिस्से में ख०न० 216/2 रकबा 0.45 है०,  
खसरा नं० 220/2 रकबा 0.20 है०, ख०न० 219/1 रकबा 0.21 है, कुल  
किता 3 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. मुरलीधर बसन्त पिता नाथूलाल हिस्सा 1/3 किस्तूरी देवी, कविता देवी,  
मिन्दू देवी पिता नाथूलाल हिस्सा 1/2, अनोखी देवी पत्नि बलराम, अमित,  
सुमित पिता बलराम हिस्सा 1/6, जाति अहीर राहिन ओ०बी०सी० शाखा  
तिगरिया मूर्तहीन (ख०न० 220/1) राहिन ज०स०को० बैंक चौमूं के हिस्से में  
ख०न० 180 रकबा 0.15 है०, ख०न० 181 रकबा 0.10 है०, ख०न० 182  
रकबा 0.12 है०, ख०न० 183 रकबा 0.08 है०, ख०न० 184 रकबा 0.12 है०,  
ख०न० 206 रकबा 0.20 है०, ख०न० 207 रकबा 0.17 है०, ख०न० 208  
रकबा 0.19 है०, ख०न० 209 रकबा 0.22 है०, ख०न० 210 रकबा 0.20 है०,  
ख०न० 211 रकबा 0.29 है०, ख०न० 212 रकबा 0.18 है०, ख०न० 213  
रकबा 0.21 है०, ख०न० 214 रकबा 0.19 है०, ख०न० 215 रकबा 0.41 है०,  
ख०न० 216/1 रकबा 0.75 है०, ख०न० 219/2 रकबा 0.43 है०, ख०न०  
220/1 रकबा 1.00 है०, ख०न० 234 रकबा 0.17 है०, कुल किता 19 का  
कुल रकबा 5.18 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. शंकरलाल, भगवानसहाय पिता सुणीलाल 1/3, शंकरलाल, भगवानसहाय  
पिता मु० सुणीलाल 1/6, सन्तोष देवी पुत्री सुणीलाल हिस्सा 1/6,  
मुरलीधर, बसन्त पिता नाथूलाल, किस्तूरी देवी, कविता देवी, मिन्दू देवी  
पुत्रियां नाथूलाल हिस्सा 5/14, प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/14,  
अनोखी देवी पत्नि बलराम, अमित, सुमित पिता बलराम हिस्सा 1/14, जाति  
अहीर सा० देह खातेदार के हिस्से में ख०न० 222 रकबा 0.25 है०, ख०न०  
229 रकबा 0.02 है०, ख०न० 230 रकबा 0.01 है०, ख०न० 233 रकबा 0.03  
है०, ख०न० 240/1678 रकबा 0.04 है०, ख०न० 240/1677 रकबा 0.02


  
सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

है0, ख0नं0 240 रकबा 0.02 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.39  
हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद  
वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...  
..... को अदा करें।


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.02.2019 को  
जारी किया गया

मोहर

  
दस्ताखत...कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)  
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	1
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

  
सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)